<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–43/2017</u>

<u>CIS NO. TS-117/2019</u>

राजा राम तिवारी.....वादी

बनाम

मोहन पड़ित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.02.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 09 एवं आवेदन धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 राजबदन पड़ित की मृत्यु दिनांक 19.01.2020 को हो चुकी है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने चार पुत्र बृजकिशोर पड़ित, हरिनन्दन कुमार, निशांत कुमार एवं सुर्याकान्त कुमार तथा चार पुत्रियों अंतिमा देवी, सुनिता पड़ित, कोमल देवी एवं प्रतिमा देवी को छोडकर मरे है। वाद के अग्रिम कार्यवाही हेतु मृतक के स्थान पर वारिसानों को प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वादी को वाद में प्रतिस्थापन की कार्यवाही व समय सीमा की बाध्यता की जानकारी एवं कानूनी समझ नही थी। जिस कारण प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। विलंब होने के वजह से स्वतः वाद वैद्यानिक उपसम्मित होना माना जायेगा। अतः वाद उपसम्मित को विखंडित कर आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है चूँकि वादी के द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh	

लगातार **26.09.2023**	Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.02.2021 को मो0–700/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 07.11.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	